



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1997]  
No. 1997]

नई दिल्ली, मंगलवार, दिसम्बर 1, 2009/अग्रहायण 10, 1931  
NEW DELHI, TUESDAY, DECEMBER 1, 2009/AGRAHAYANA 10, 1931

रसायन और उर्वरक मंत्रालय  
(रसायन और पेट्रो-रसायन विभाग)  
अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 नवम्बर, 2009

का.आ. 3062(अ).—केन्द्रीय सरकार, रासायनिक आयुध अभिसमय अधिनियम, 2000 (2000 का 34) की धारा 6 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसरण में इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से का.आ. 1490(अ), तारीख 13 सितम्बर, 2006 में संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना में क्रम सं. 2 और उससे संबंधित प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्यांक और प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :—

"2. डॉ. जी. नरेन्द्र कुमार —निदेशक (संयुक्त सचिव, राष्ट्रीय रासायनिक आयुध अभिसमय प्राधिकरण)।"

[फा. सं. 40020/20/2007-रसा. 1]

बी. पी. पाण्डेय, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILIZERS  
(Department of Chemicals and Petro-chemicals)  
NOTIFICATION

New Delhi, the 25th November, 2009

S.O. 3062(E).—In pursuance of the provisions of sub-section (1) of Section 6 of the Chemical Weapons Convention Act, 2000 (34 of 2000), the Central Government hereby amends the notification *vide* S.O. 1490(E), dated the 13th September, 2006 with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette, namely :—

In the said notification, for serial number 2 and the entry relating thereto, the following serial number and entry shall be substituted, namely :—

"2. Dr. G. Narender Kumar —Director (Joint Secretary, National Authority for Chemical Weapons Convention)."

[F. No. 40020/20/2007-CH. I]

B. P. PANDEY, Jt. Secy.